

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना

निविदा आमंत्रण

इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से श्रीकृष्ण स्मारक भवन तथा परिसर, उत्तरी गांधी मैदान, पटना के भवन एवं परिसर की सफाई एवं वार्षिक रख रखाव के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। वे व्यक्ति/फर्म जिनका विगत तीन वर्षों में वार्षिक टर्न ओवर 1.0 (एक) करोड़ रुपये का हो एवं कम से कम 100 दक्ष/प्रशिक्षित कर्मी हो तथा ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 स्थापना के सदस्य हों, निविदा दे सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/फर्म तीन वर्षों का अंकेक्षित बैलेंस सीट भी देंगे। जमानत की राशि के रूप में 2000/- (दो हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट श्रीकृष्ण स्मारक समिति के नाम से संलग्न करना होगा। एजेन्सी श्रीकृष्ण स्मारक भवन तथा परिसर के रख रखाव से संबंधित सभी कार्यों जिनका उल्लेख कार्यों की शर्तों में किया गया है, के लिए पूर्णतः जबाबदेह होगी।

कार्यों की शर्तों की प्रति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा बेबसाईट <http://patnadivision.bih.nic.in> से डाउनलोड की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म, परिसर तथा कार्य क्षेत्र के दृष्टिगत निरीक्षण हेतु किसी भी कार्य दिवस में 03.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे संध्या तक भ्रमण कर सकती है।

ऑफर/कोटेशन, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक 12.11.2009 को अपराह्न 04.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन 05.00 बजे अपराह्न में उपस्थित संस्था/फर्म/व्यक्ति या इनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। यदि अंतिम तिथि को अवकाश होगा तो दूसरे दिन कार्यालय खुलने की तिथि को निविदा/ऑफर निर्धारित समय एवं स्थान पर खोला जायेगा। किसी भी निविदा/ऑफर को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना –सह– अध्यक्ष,
श्रीकृष्ण मेमोरियल विकास समिति, पटना।

श्रीकृष्ण मेमोरियल भवन एवं परिसर के रख-रखाव एवं सफाई से संबंधित कार्यों की शर्तें :-

1. श्रीकृष्ण मेमोरियल भवन के हॉल, स्टेज, ग्रीन रूम, बरामदा, सभाकक्ष, परिसर, गार्डन, ए0सी0 प्लान्ट कक्ष, जेनरेटर सेट कक्ष, शौचालय एवं बाथरूम तथा नाला की पूर्णतः अच्छे ढंग से दैनिक सफाई की सारी जवाबदेही एजेन्सी की होगी।
2. दैनिक सफाई के क्रम में बरामदा, हॉल, स्टेज, ग्रीनरूम सभाकक्ष, परिसर, ए0सी0 प्लान्ट कक्ष, जेनरेटर सेट कक्ष, शौचालय में नियमित झाड़ू लगाना होगा तथा उच्च कोटि का मबीव तिपमदकसल बसमंदपदह हमदजे का प्रयोग करते हुए दैनिक नियमित पोछा, धुलाई वगैरह करना होगा। बाथरूम एवं शौचालय में उच्च कोटि का सपुनपक सफाई हेतु उपयोग करना होगा। यह कार्य प्रातः 08.00 बजे से किया जायेगा।
3. नाला की दैनिक सफाई करनी होगी तथा ड्रेनेज जाम होने पर इसकी पूर्णतः सफाई की पूरी जवाबदेही होगी।
4. कार्यक्रम का आयोजन दिन में हो या रात्रि में भवन एवं परिसर की पूरी सफाई करवाने की जवाबदेही एजेन्सी की होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान बाथरूम, परिसर की विशेष सफाई पर निम्नलिखित ध्यान देना होगा।
(क) परिसर में प्रत्येक प्रोग्राम के दिन कम से कम दो बार झाड़ू लगाना होगा।
(ख) नियमित अन्तराल पर पोछा लगाना होगा।
(ग) प्रोग्राम दिवस पर सारे बाथरूम को हमेशा स्वच्छ रखेंगे।
5. भवन के अन्दर-बाहर झोल, मकड़ा के जाल की नियमित सफाई करनी होगी तथा इसमें मच्छर वगैरह हटाने हेतु उच्च कोटि का कीटनाशक का छिड़काव कराने की पूरी जवाबदेही एजेन्सी की होगी।
6. एजेन्सी को –
(क) बगीचे की देखभाल एवं सफाई नियमित करनी होगी;
(ख) दरवाजों एवं खिड़की के शीशे को पोछना; एवं
(ग) 'एजेन्सी' अपने व्यय पर परिसर/गार्डन में पेड़-पौधों की कटाई छंटाई तथा घास की कटनी भी करेगी।
7. एजेन्सी को हॉल के अन्दर बाहर एवं अन्य स्थानों पर चिपके टंगे पोस्टरों/बैनरों को हटाना होगा।
8. हॉल, सभाकक्ष, परिसर के अन्दर-बाहर दिवारों पर पान के दाग एवं अन्य दाग को नियमित मिटाते हुए स्वच्छ रखना होगा।
9. सफाई में प्रयोग होने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। तदनुसार सफाई से संबंधित सामग्रियों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिखाकर सम्पुष्ट कर लेना अनिर्वाय होगा।
10. शौचालय एवं बाथरूम में तौलिया, टॉयलेट शॉप, ओडोनिल आदि की आपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
11. सफाई से प्राप्त जूजम सामग्री को अलग कर नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थल तक कूड़ा गाड़ी से अविलम्ब पहुंचाने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
12. भवन के शौचालय में प्रतिष्ठापित फिटिंग, नल एवं अन्य सामग्रियों की सुरक्षा की पूरी जवाबदेही एजेन्सी की होगी।

13. सफाई के दौरान कर्मियों द्वारा की जानेवाली क्षति एवं संतोषजनक सफाई नहीं होने की स्थिति में जुर्माना किया जायेगा, जिसकी भरपाई आपके विपत्र की राशि से की जायेगी। जुर्माना लगाने का अधिकार समिति के अध्यक्ष यानि आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना में सुरक्षित रहेगा।
14. नियमित सफाई के लिए प्रतिदिन **कम से कम 06 सफाई कर्मी** को रखना अनिवार्य होगा, परन्तु **कार्यक्रम के दिन आवश्यकतानुसार मजदूरों की संख्या बढ़ानी होगी, जो कम से कम 12 होगी।** इसके उद्यान के रख-रखाव हेतु कम से कम 04 मालियों को रखना अनिवार्य होगा। सफाई कर्मियों/उद्यान माली की सूची सत्यापित फोटो के साथ उनके संबंध में पूर्ण ब्यौरा के साथ कार्यालय में समर्पित करनी होगी। कर्मी की कमी होने पर आर्थिक दण्ड लगाने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना में सुरक्षित रहेगा। सभी उपस्थित 'सफाई कर्मी' **उपस्थिति पंजी** पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। उपस्थिति पंजी एवं सफाई कार्य के मूल्यांकन से संबंधित मासिक प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही विपत्र के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. सफाई कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध को रद्द कर काली सूची में भी डाला जा सकता है।
16. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन प्रथम पक्ष, एजेन्सी के द्वारा किया जाता है तो द्वितीय पक्ष, समिति को यह अधिकार पूर्णतः सुरक्षित होगा कि एकरारनामा को रद्द कर दे। इसके लिए एजेन्सी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
17. इसके अतिरिक्त समय-समय पर सफाई के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन एजेन्सी को करना होगा।